मौद्रिक नीति समिति

मौद्रिक नीति समिति

Monetary Policy Committee

मौद्रिक नीति समिति

- **प्राधिकरण:**
  - भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, **1934** के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।
- **उद्देश्य:**
  - मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- **कानूनी ढाँचा:**
  - संशोधित आरबीआई अधिनियम, **1934** की धारा **45ZB** के तहत।
    - केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति **(MPC)** का गठन करने का अधिकार है।
  - **MPC** को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। **MPC** के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

संघटन

- आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

कार्य

- मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
  - यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
  - यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
  - हर छह महीने में एक बार **RBI** को मुद्रास्फीति के स्रोतों और **6-18** महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

और पढ़ें....

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/monetary-policy-committee-2